"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अप्रैल 2016— चैत्र 18, शक 1938

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 19-51/व/10-2/2005. — छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13 सन् 1984) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों को छोड़कर, आरक्षित तथा संरक्षित वनों की सीमा से बीस किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले क्षेत्रों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रतिसिद्ध क्षेत्र घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 19-51/व/10-2/2005 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ 19-51/व/10-2/2005, दिनांक 06-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 6th April 2016

NOTIFICATION

No. F -19-51/व/10-2/2005. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Kastha Chiran (Viniyam) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the state government hereby declares the areas within twenty kilometre radius from the boundary of the reserved and protected forest; except the areas of Municipal Corporation, Municipality, Nagar Panchayats and Special Area Development Authority, to be prohibited areas for the purpose of the said act for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.